प्रपत्र–25

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबडी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 53 किमी० है।

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र–26

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत क्ल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

प्रपत्र–27

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत क्लजीखाल से साकनीबडी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्कों/ वन्य जीव अभ्यारण में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मान्य उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।

(लागू नहीं है)

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

प्रपत्र–32

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले–आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

प्रस्तावित योजना मोटर मार्ग निर्माण कार्य है। अतः लागू नही है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

प्रपत्र–37

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत क्ल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित सिविल भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नही है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सिविल भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

(राजस्व उपनिरीक्षक)

उपजिलाधिकारी
पौड़ी
(गढ़वाल)

(जिलाधिकारी)

जिलाधिकारी
गढ़वाल

प्रपत्र–38

परियोजना का नाम :–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत क्लजीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, , सतपुली, (पौडी गढ़वाल)	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, , सतपुली, (पौडी गढ़वाल)	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, , सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत क्ल्जीखाल से साकनीबडी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को /रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०,
सतपुली, (पौडी गढवाल)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०,
सतपुली, (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०,
सतपुली, (पौडी गढवाल)

प्रपत्र–40

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौड़ी गढ़वाल मे प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत क्वीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
1	सकनी छोटी	578800	115
2	सकनी बड़ी	579100	264
योग:–			

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

प्रपत्र–41

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये............... प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.......... हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये................... होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का................ प्रतिशत की दर से रूपये.. प्रतिवर्ष होता है।

((लागू नहीं है))

ह0/–
जिलाधिकारी गढ़वाल

J.E.

A.E.

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
लो0 नि0 वि0 कोटद्वार गढ़वाल

कृते जिलाधिकारी
गढ़वाल

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनाँक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता नियता निम्नानुसार है:–

1. ईको– क्लास श्रेणी ....
2. हरियाली का घनत्व –
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये –
4. आवेदित सिविल भूमि का क्षेत्रफल – 4.427 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि –

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र 51

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत क्ल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मॉंग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

प्रपत्र 52

परियोजना का नाम	:-	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊंचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण								
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
8	पानी की ढुलाई आदि								
	कुल योग								

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र 52 ए

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा पिलर व्यय वहन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, , सतपुली, (पौड़ी गढवाल)	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, , सतपुली, (पौड़ी गढवाल)	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, , सतपुली, (पौड़ी गढवाल)

प्रपत्र 53

परियोजना का नाम	:- जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि .... वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

(लागू नहीं है)

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०, सतपुली, (पौडी गढ़वाल)

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

UTTRAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT

PMGSY, PWD, SATPULI, PAURI GARHWAL

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

(WORLD BANK FUNDED)

FOREST PROPOSAL

PACKAGE NO	:-	UT-
NAME OF DISTT	:-	PAURI GARHWAL
NAME OF BLOCK	:-	KALJIKHAL
NAME OF ROAD	:-	KALJIKHAL TO SAKNI BADI MOTOR ROAD
TOTAL ROAD LENGTH	:-	7.575 KM.
RESERVE FOREST	:-	NIL.
VAN PANCHAYAT LAND	:-	NIL.
CIVIL SOYAM LAND	:-	4.427 HECT.
PRIVATE LAND	:-	3.251 HECT.

EXECUTIVE AGENCY	:-	PUBLIC WORKS DEPARTMENT (UTTRAKHAND)
NODAL DEPARTMENT	:-	RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
NODAL AGENCY	:-	UTTRAKHAND RURAL ROAD DEVELOPMENT AGENCY

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन

भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची
सारणी–12

क्र0 सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने है।
1.	सक्षम अधिकारी / ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण–पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2	3	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	–
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
11.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हे निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन / सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बीज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	–
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
35.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	37	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	43	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

47.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण / पथ वृक्षारोपण / दस गुना / बौनी प्रजातियों / 100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आकलन।	50.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
54.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
56.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने / लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने की या होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
58.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	55.	डी0एफ0ओ0 / उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56.	प्रस्तावक	–
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	–

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)– कल्जीखाल से साकनीबडी

आरक्षित वन भूमि	–	शून्य है0
वन पंचायत	–	शून्य है0
सिविल सोयम भूमि	–	4.427 है0
नाप भूमि	–	3.251 है0
योग	**–**	**7.678 है0**

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 सतपुली, (पौड़ीगढ़वाल)।

3. वन प्रभाग का नाम – पौड़ीगढ़वाल वन प्रभाग।

4. प्रस्ताव बाइंडिग किया गया है – हाँ/नहीं ✓

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है – हाँ/नहीं ✓

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग–1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। – हाँ/नहीं ✓

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनाँक व स्थान भरा गया है। – हाँ/नहीं ✓

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। – हाँ/नहीं ✓

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हाँ/नहीं ✓

10. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। – हाँ/नहीं ✓

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है – हाँ/नहीं ✓

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। – हाँ/नहीं ✓

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – हाँ/नहीं ✓

14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है
✓– हाँ/नहीं

15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हाँ✓/नहीं

16. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है
– हाँ✓/नहीं

17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हाँ/नहीं✓

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है
– हाँ/नहीं✓

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है – हाँ✓/नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
– हाँ/नही ✓

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगो से भरा गया है – हाँ✓/नहीं

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हाँ✓/नही

23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है – हाँ/नहीं✓

24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।
– हाँ/नहीं✓

25. सडक निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये है
– हाँ✓/नहीं

26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) – हाँ✓/नहीं

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तु – हाँ/नहीं✓ (5 है0 से कम है) है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है – हाँ✓/नही

29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है – हाँ✓/ नही

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–प्रत्र संलग्न है– हाँ/नही

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है
– हाँ/नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या ये सत्यापित है
– हाँ/नही

32 यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है
– हाँ/नहीं

33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हाँ/नहीं

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है
– हाँ/नहीं

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है – हाँ/नही

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०,
सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

प्रपत्र 2

भाग–I

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव –/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :– संलग्न है।

(ग) परियोजना की लागत। :– 549.33 लाख

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :– अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।

(ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :– संलग्न है।

(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :– मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :–

आरक्षित वन भूमि	:– शून्य है0
सिविल सोयम भूमि	:– 3.567 है0
मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि	:– 0.860 है0
योग	:– 4.427 है0

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :– लागू नहीं है।

(क) परिवारों की संख्या :– शून्य

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के :– शून्य

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :– शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) :– नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) :– संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। :– संलग्न है।

दिनांक ....

स्थान PMGSY PWD Kotdwar

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम– अशोक कुमार

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, सतपुली, (पौड़ी गढ़वाल)

प्रस्ताव की क्रम संख्या..............................

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र 3

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575) किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग–2

(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	:-	कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग
	i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	:-	उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	:-	पौड़ी गढ़वाल
	(iii) जिला वन प्रभाग	:-	पौड़ी गढ़वाल
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	:-	4.427 है0
8.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	:-	
9.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा	:-	
	(i) वन का प्रकार	:-	
	(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	:-	
	(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	:-	
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	:-	
10.	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	:-	
11.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	:-	
12.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	:-	
	(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	:-	
	(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अप्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	:-	
	(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	:-	

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए) :-

(v) क्या क्षेत्र मे वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, यदि है तो उसके ब्यौरे :-

13. क्या क्षेत्र मे कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :-

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : :-

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि :-

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि :-

15. **किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :** :-

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतो के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) :-

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लि :-

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :-

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :-

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)। :-

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : :-

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है (हां/नहीं)। :-

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। :-

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें :-

दिनांक................ हस्ताक्षर

स्थान................ नाम

सरकारी मोहर

प्रपत्र 4

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत वल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग–III

19 क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। :–

20 क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। :–

21 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें :–

हस्ताक्षर

तिथि..............

नाम और पदनाम

स्थान............

सरकारी मोहर